कार्यालय जिला पंचायत, इलाहाबाद

निविदा–सूचना

पत्रांकः 182 /निर्माण/जि0पं0 दिनांकः– 28.08.2010

बारहवां वित्त आयोग की अनुदान राशि से स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों की सील बंद निविदायें जिला पंचायत, इलाहाबाद में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 13.09.2010 के अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 09.09..2010 के सायं 4:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा खुलने की तिथि को कोई निविदा फार्म देय नहीं होगा। निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में कम अथवा अधिक प्रतिशत में लिखना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ आयकर विभाग तथा व्यापारकर विभाग द्वारा निविदादाता के पक्ष में दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र एवं जिलाधिकारी/जिलामजिस्टेट द्वारा प्रदत्त, हैसियत प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारुप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि की काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा प्रपत्र भरने एवं टेण्डर देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा। निविदा के समय, निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को ई–मेल, रजिस्टर्ड डाक अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट **WWW.allahabad.nic.in** से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 1006000108009627 में सीधे जमा किया जायेगा और धरोहर धनराशि का विवरण निविदा फार्म पर दिया जायेगा तथा मूल प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय में भेजा जायेगा। समस्त निविदाओं एवं किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य अधिकारी में निहित होगा। निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि, जिलानिधि, बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस में बचत एकाउण्ट अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, इलाहाबाद के पक्ष में बन्धक हो, जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर धनराशि की निवदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। ठेका स्वीकार होने के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में 8% जमानत जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया जाता है, तो कार्य की निविदा में 2% जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेके/निविदा की विस्तृत जानकारी अभियन्ता जिला पंचायत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	निविदा की धनराशि लाख में	2 प्रतिशत जमानत धनराशि लाख में	निविदा फार्म का मूल्य	4 प्रतिशत वैट की धनराशि	कार्य पूर्ति की अवधि
1	शंकरगढ़	टोंस नहर से बैरिया सलहिया स0मा0 डब्लू0बी0एम0 स्तर तक	8.19	0.17	850.00	34.00	3 माह
2	मऊआइमा	श्री हीरा पासी के धर से मन्दिर तक लेपन कार्य	8.00	0.16	800.00	32.00	3 माह
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित							
3	शंकरगढ़	लौंद खुर्द से जमुहरा मन्दिर अवशेश स0मा0 लेपन स्तर तक	10.00	0.20	1000.00	40.00	3 माह

अभियन्ता,
जिला पंचायत, इलाहाबाद ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, इलाहाबाद।

अध्यक्ष
जिला पंचायत, इलाहाबाद।